राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 23 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–09.02.2024

GCMS ID-2024 / 18

1. प्रेमचन्द सैनी आ0 श्रवण सैनी जाति माली निवासी हिण्डोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. ईसर आ0 श्रवण जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. गोपाल आ0 भूरा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. दुर्गालाल आ0 भूरा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. प्रताप आ0 भूरा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. बरधीबाई पत्नी भूरा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. रतना आ0 अमरा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक :– 29 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 121 के खसरा संख्या 746, 751, 755, 758, 764, 768, 771, 772 / 5970, 780, 797, 799, 803, 804, 806, 810, 862 कुल किता 16 कुल रकबा 1.4003 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 119 खसरा संख्या 760, 903 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1538 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता श्रवण जी के पेमा नाम का कोई पुत्र नहीं था, प्रार्थी का ना प्रेमचन्द है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेज में अंकित है, पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के पिताजी की मृत्यु के बाद जॉच किये बिना राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी प्रेमचन्द सैनी के स्थान क पर पेमा का इन्द्राज कर दिया उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

मचन्द सैनी दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम पेमा दर्ज कर दिए जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम प्रेमचन्द सैनी है और पहचान के सभी दस्तावेज में भी प्रेमचन्द सैनी ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त को दुरूस्त किया जाकर पेमा के स्थान पर प्रेमचन्द सैनी दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी के ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 25.01.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में पेमा के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर प्रेमचन्द सैनी दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम प्रेमचन्द सैनी दर्ज करवावे। भूमि ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 121 के खसरा संख्या 746, 751, 755, 758, 764, 768, 771, 772/5970, 780, 797, 799, 803, 804, 806, 810, 862 कुल किता 16 कुल रकबा 1.4003 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 119 खसरा संख्या 760, 903 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1538 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली जिला बून्दी राज0 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम पेमा के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर प्रेमचन्द सैनी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 वाबजूद तामिलों के लगातार अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/2110 दिनांक :–11.07.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम हिण्डोली के खाता संख्या 121 व 119 में प्रार्थी का नाम पेमा पुत्र श्रवण दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान को उक्त खाता नम्बर में दर्ज पेमा पुत्र श्रवण व प्रेमचन्द पुत्र श्रवण एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज पेमा पुत्र श्रवण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम प्रेमचन्द पुत्र श्रवण दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम प्रेमचन्द पुत्र श्रवण है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली प्रर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम प्रेमचन्द पुत्र श्रवण दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली के खाता संख्या 119 व 121 में दर्ज सहखातेदार पेमा पुत्र श्रवण के स्थान प्रार्थी का सही नाम प्रेमचन्द पुत्र श्रवण शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 29.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

29/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)